

- (क) राँची नगर निगम, राँची के भवन
लान वाद संख्या- BP02/2012/738

(छ) नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिकृतना सं०-2612 दिनांक-19-10-09 के द्वारा राँची सेत्रीय विकास प्राधिकार (मद्दत उप-विधि)-2002 तथा संस्थापित 2006 के ग्रामशालों के तहत नगरपालिका अधिनियम-2011 की घारा-427(3) के अल्लोक में प्रस्तावित भवन निर्माण/वर्तमान भवन में परिवर्तन के नवक्षे में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती हैः

 - स्वीकृत नवक्षे/भवन लान में किसी भी स्तर पर कोई विचलन मानन नहीं होगा।
 - विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित भवन के लिए निजी ट्रान्सफरर की व्यवस्था करनी होगी।
 - भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकस्तिक व्यवस्था के रूप में व्यनिहित एवं प्रबूँध रहित पर्याप्त आमता वाला जेनेरेटर लगान। अनिवार्य होगा।
 - प्रस्तावित भवन तक पहुँच पथ का निर्माण स्वयं करना होगा :
 - पहुँच पथ तक रोशनी की व्यवस्था स्वयं करनी होगा।
 - पथ पर दोनों ओर एवं प्रांगण में उपनियानों के अनुसार पेड-पीढ़ी लगाने होंगे।
 - प्रस्तावित भवन में जनसंचाला के अनुसार सेटिंट एवं साकर्शिट की व्यवस्था करनी होगी।
 - निजी जल आपूर्ति हेतु बोरिंग की व्यवस्था करनी होगी। Tube well खोदने के पहले जल संसाधन विभाग से उसके डिजाइन पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - निर्माण कार्य एवं स्क्रब्यरल सेटी की निम्नवारी स्वयं अनुमतिशारी अभियंता पर होगी तथा राँची नगर निगम के भवन उपनियम के घारा-III का अनुमोदन करना होगा।
 - निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्पतल के निर्माणी की जाँच करा लेनी होगी एवं भवन का निरूपण सिस्टीक लोड सेने दोष्य बनाना होगा।
 - नींव तैयार करते समय ही दीपक न लगने का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
 - अग्निशमन कार्यालय/Airport Authority of India के पत्रांक- 137 दिनांक- 11.04.14 में वर्णित नियमों/प्रावधानों का पालन करना होगा।
 - भवन के प्रत्येक तल पर अग्निशमक वंत लगाना होगा।
 - तोक निर्माण विभाग के गुण नियंत्रण संहिता के अनुसार गुण नियंत्रण का पालन करना होगा।
 - कार्य समाप्ति के अवश्यक भवन उप-विधि की घारा-9.1 के अनुसार Appendix-G में Completion Certificate के साथ निगम की सूचित करना होगा।
 - नियन्त्रकर्ता द्वारा द्वारा तब तक कोई Occupancy नहीं दी जायेगी जबतक भवन उप-विधि की घारा-17.1 के अलोक में निगम से नए प्रकार में Occupancy Certificate प्राप्त नहीं कर लिया जायेगा।
 - किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत भवन लान सं०-BP02/2012/738 में प्रस्तावित मंजिल B+G+10(2 NOS) & B+C+11 में आवासीय/व्यवसायिक इकाइ की संख्या 104 (R) + RETAIL SHOP (3 NOS) + C. HALL + GYM) में वृद्धि मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त किए गए निर्माण का अपसारण नगरपालिका अधिनियम-2011 के सुनिर्गत धारा के अन्तर्गत कर दिया जायेगा।
 - भवन लान स्वीकृति के क्रम में आवेदन के साथ दिये गए बहुमिजली/व्यवसायिक भवन से संबंधित शपय पत्र में वर्णित सभी शर्तें का पालन अवश्यक करना होगा।
 - Gift deed में दर्शायी गई मू-पू-पट्टी आवश्यक रूप से छोड़ना होगा।
 - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की घारा-427(5) के अनुसार अनुमान्य शुल्क देय होगा।
 - मू-खण्ड क्रम करने की अहर्ता रखने वालों को ही प्रस्तौटी की विक्री करनी होगी।
 - उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर निगम द्वारा नगरपालिका अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निर्माण कार्य रेक कर अप्रेटर कार्बिंइ की जायेगी।
 - वैद्य रूप से हस्तान्तरित भू-खण्ड पर ही भवन निर्माण करेंगे, अन्यथा निर्माण की सारी निम्नवारी आप की होगी और निगम निम्नवारी नहीं होगी।
 - भवन लान की स्वीकृति के बाद यदि इह पाया जाता है कि आदेक ने घोषाधृती या गलबायानी (Misrepresentation of facts or fraudulent statement) से इसकी स्वीकृति प्राप्त की है, तो भवन उप-विधि की कड़िका-11.1 के अन्तर्गत इस भवन की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
 - भवन लान के निर्माण में जारी रखने वालों का अवश्यक पालन करना होगा।
 - भवन लान की स्वीकृति ते आवेदक का प्राप्तान्तर भूमि पर मू-स्थानिक का प्राप्तान स्थापित नहीं होगा।
 - Road Widening Strip से सड़क विस्तार हेतु इस भवन निर्माण के पूर्व से ही पूर्तांतः खाली छोड़ना होगा। इसमें किसी प्रकार का चाहारदिवारी नहीं दी जाएगी। पथ चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गई मू-पू-पट्टी के तल की सतह अवस्थित पथ तल की सतह के बराबर होनी चाहिए।
 - प्रस्तावित भू-खण्ड के अन्दर निर्मित नाली, भू-खण्ड सतह के नीचे होनी चाहिए एवं यह पूर्ण रूप से ढकी होनी चाहिए।
 - भू-खण्ड के जाने के हिस्से में लगे सर्विस पाइप, पानी की ढंकी इत्यादि को पूर्ण रूपसे ढकना होगा।

30. आगे की चाहरदिवारी की पूरी लम्बाई में प्रत्येक 6 मीटर के अन्तरर एवं उपरकुह किसिके के पेड़ लगाने होंगे।

31. मू-खण्ड के आगे चाहरदिवारी निर्माण के बाद इसके अन्दर Lighting Pole पर लाईट की व्यवस्था करनी होगी तथा Light का मुख पक्की ओर करना होगा। आगे की चाहरदिवारी की पूरी लम्बाई में प्रत्येक 1.5 मीटर अधिक इसके अंश पर 6 मीटर ऊँचाई का Lighting Pole देना होगा जिस पर 150 वाट का S.W. Lamp लगाने होगा। Lamp का मुख पक्की ओर जिससे Street/Road dh Lighting हो सके। इन लाइटों को भी जेनरेटर से जोड़ना होगा।

कतिपय लाइटों की भी व्यवस्था परिसर में करनी होगी।

32. मू-खण्ड के अन्दर आवश्यक आकार का कृदान रखना होगा।

33. मू-खण्ड के सामने मू-पट्टी की लाईटिंग, पानी का पम् एवं लिफ्ट का संबंध में (Connection) जेनरेटर से होना चाहिए।

34. भवन में अनिवार्य एवं प्रदूषण रोकत प्यास कमता बातों जेनरेटर लगाना अनिवार्य होगा।

35. Rain Water Harvesting System की बहुमिती इमारतों के छत पर भी करता होगा और Under Ground Water Recharging हेतु कुंजा/ट्यूबवेल का प्रावधान करना होगा। इस Rain Water Harvesting System की डिजाइन का अनुमोदन जल संसाधन विभाग, जारखण्ड से कराना अनिवार्य है।

36. आवासीय इकाईयों की संख्या 24 से अधिक है अतःपर Recycling of Waste Water Plant का अधिकायन करना होगा।

37. बहुमिती भवन के अवैदेक के भू-खण्ड के समीप यदि नाली है तो न्यूनिसिपल नाली का निर्माण अधिक 75 मीटर लम्बाई (जो भी कम हो) तक नाली का निर्माण करना होगा। नाला निर्माण का प्राकलन एवं इसकी विशिष्ट प्राप्तिकार से प्राप्त करनी होगी।

38. भवन के निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।

39. 10 मीटर या इससे अधिक ऊँचे भवन में तड़ित चालक का लगाया जाना अनिवार्य होगा।

40. भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माण से संबंधित कोई भी सामग्री सड़क पर नहीं रखनी है। सड़क पर कोई सामग्री पाये जाने पर प्रतिदिन रु०-1000/- की दर से जुर्माना किया जायेगा।

41. बहुमिती भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय स्तर पर एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें निम्नांकित तथ्यों को दर्शाना होगा :-

 - भूमि के मात्रिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं
 - फॉट का कुल क्षेत्रफल
 - फॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल
 - राँची नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृत कराने की तिथि एवं भवन लान संख्या।
 - भवन में फ्लोरिंग, पर्सेटी एवं कार्पोरी की कुल संख्या।
 - निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि।
 - फॉट पर स्वीकृत भवन लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें राँची नगर निगम द्वारा स्वीकृत Front Setback, Rear Setback, Both Side's Setbacks, Car Parking, Basement, Lift, Fire Fighting System (If applicable), पेपर जल एवं आपूर्ति के लिए भी योग्य व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संबंधी/उपस्थरों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

42. राँची नगर निगम, राँची द्वारा स्वीकृत भवन लान का अधिकारियां भाग्याप्रति सभी प्लैट ऑफर्स को देना अनिवार्य है।

43. भवन लान की स्वीकृति से भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

44. जारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2011 के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

45. स्वीकृत भवन लान की स्वीकृति के अनुपर्याप्त निर्माण कार्य जीजावदी संबंधित किसी वारुद्धिक/अधिकायन की होगी, जिनके द्वारा प्रभावी भवन लान से अनुपर्याप्त निर्माण कार्य जीजावदी संबंधित किसी वारुद्धिक/अधिकायन की होगी।

46. भवन लान की स्वीकृति के उपरान्त तथा भवन निर्माण पूर्ण होने के समय किया जायेगा। जाता है, तो भवन निर्माण के समय अवैदेक को उनक्य भी पालन करना होगा।

47. सारीतीय विभागपत्रक प्राप्तिकार से अनापत्ति प्रमाण पूर्ण अप्राप्त रहने की स्थिति में भवन की ऊँचाई (विभिन्न संरचनाओं के उपरान्त भवन की आवैदेक ऊँचाई हेतु स्वीकृति स्वतः मान्य होनी।